

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-306/94/अलेसे-आ

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 30/2018-19 दिनांक 05.06.2018 द्वारा श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जयपुर से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर में किया गया था। निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को उनके वर्तमान कार्यालय से तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें अन्यथा आपके अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

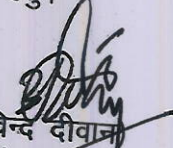

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-306/94/अलेसे-आ/2575

दिनांक- 19-02-2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जयपुर।
2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
3. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ)